संचिका संख्या–रा०प०-01/2025 (खंड-2).........954........./रा०

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(राजभाषा)

प्रेषक,

एस० एम० परवेज़ आलम,
निदेशक

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा/सभी जिला पदाधिकारी/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्य पुरी, दिल्ली।

पटना, दिनांक-...17-11-25...

विषय :- **राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि दिनांक 12.10.25 को आयोजित होने वाली राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारी/कर्मचारी के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा जो बिहार विधान सभा आम चुनाव 2025 होने के कारण स्थगित कर दी गयी थी उस परीक्षा का आयोजन अब **दिनांक-07.12.2025 (रविवार)** को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक किया जाएगा।

2. राजपत्रित तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन सचिवालय तथा सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों में और अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा का आयोजन सचिवालय एवं सम्बद्ध प्रमण्डलों तथा जिन जिलों में प्रमण्डलीय मुख्यालय नहीं है, वहां जिला मुख्यालयों में किया जाएगा।

3. सचिवालय से संलग्न कार्यालयों के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का संचालन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) द्वारा किया जाएगा।

4. पटना, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा, सहरसा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर प्रमण्डलों में राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का संचालन आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा द्वारा किया जाएगा।

जिन जिलों में प्रमण्डलीय राजभाषा मुख्यालय नहीं है, वहाँ अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा का संचालन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5. आवेदन पत्र प्राप्ति की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 08.09.2025 तक प्राप्त आवेदन के अनुसार ही परीक्षा ली जाएगी।

6. सम्बद्ध जिला पदाधिकारी/ आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उपनिदेशक, राजभाषा द्वारा सभी आवेदन पत्रों की भली-भाँति जाँच-पड़ताल के बाद ही प्रवेश-पत्र निर्गत किया जाएगा।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) द्वारा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा/हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत आदेश-निदेश के आलोक में वैसे सरकारी सेवक, जिन्हें उक्त परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, का आवदेन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

8. सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा यथासंसूचित संख्या में सादी उत्तरपुस्तिकाएँ एवं मुहरबंद पैकेट में प्रश्नपत्र प्राप्त करने हेतु **दिनांक-04.12.2025 एवं 05.12.2025** को कार्यालय अवधि में अपने कार्यालय के एक ऐसे विश्वस्त कर्मचारी को प्राधिकार पत्र के साथ, जिसमें उनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित हो, **मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा), हिन्दी भवन, छज्जुबाग, पटना के पते पर भेजेंगे।** प्राधिकृत व्यकित अपेक्षित सामग्री प्राप्त कर प्रथम उपलब्ध सवारी से वापस जाकर सक्षम पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, जिनकी अभिरक्षा में प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तरपुस्तिकाएँ रखी जाएंगी।

9. पत्र संख्या-59/रा0, दिनांक-18.01.1999 के अधीन परीक्षा/परीक्षाओं के संचालन सम्बन्धी दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

10. उपर्युक्त कार्यक्रम की सूचना कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को शीघ्र संसूचित करने की व्यवस्था की जाय।

विश्वासभाजन

17/XI/15

(एस0 एम0 परवेज् आलम)
निदेशक

E:\पंकज 2025\Manisha\Exam 07-12-2025\Ra-pa0-01-2025 (Khand-2) 05-11-25.doc

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(राजभाषा)

विज्ञापन

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 12.10.25 को होनेवाली राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा नन मैट्रिक स्तर की हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता की स्थगित परीक्षा अब दिनांक **07.12.25** को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 1:00 बजे अपराह्न तक पूर्व प्रेषित निदेश के आलोक में आयोजित की जायेगी।

2- आवेदन पत्र प्राप्ति की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 08.09.2025 तक प्राप्त आवेदन के अनुसार ही परीक्षा ली जाएगी।

3- प्रमंडलीय एवं जिला मुख्यालयों से प्रश्न पत्र एवं सादी उत्तरपुस्तिकाओं की मांग अंतिम रूप से दिनांक 11.09.25 निर्धारित की गयी थी, जिसके आलोक में मांग पत्र प्राप्त है।

4- संबंधित जिला पदाधिकारी/आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा यथासंसूचित संख्या में सादी उत्तर पुस्तिकाएँ एवं मुहरबंद पैकेट में प्रश्नपत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 04.12.25 एवं 05.12.25 को कार्यालय अवधि में अपने कार्यालय के एक ऐसे विश्वस्त कर्मचारी को प्राधिकार पत्र के साथ, जिसमें उनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित हो, **मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा), हिन्दी भवन, छज्जूबाग, पटना** के पते पर भेजेंगे। प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षित सामग्री प्राप्त कर प्रथम उपलब्ध सवारी से वापस जाकर सक्षम पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, जिनकी अभिरक्षा में प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तर पुस्तिकाएँ रखी जाएँगी।

5- परीक्षार्थी, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अपना नाम, पदनाम देवनागरी लिपि में एवं अनुक्रमांक (रौल नं०) को अंग्रेजी के अंकों (1, 2, 3......) एवं देवनागरी लिपि में भी लिखें।

6- शेष सभी नियम एवं शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

(एस० एम० परवेज़ आलम)
निदेशक

E:\फकत 2025\Manisha\Exam 07-12-2025\Vigyapan (05-11-2025).doc